भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. : 115/2014.

सं. ई(जी)2009 क्यूआर-1-2 नई दिल्ली, दिनांक 01.12.2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां (अन्य को मानक सूची के अनुसार)

शुद्धिपत्र

विषय: पूर्व मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों के पक्ष में उनकी पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास को पास बनाए रखने की अवधि बढ़ाना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 20.10.2014 का पत्र सं. ई(जी)/2009 क्यूआर-1-2 का **हिंदी रुपान्तर**.

बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित पत्र के पैरा 2 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

2. मकान के आबंटन/अपने पास बनाए रखने के बारे में सभी अथवा किसी मौजूदा प्रावधान में किसी एक श्रेणी/ग्रुप के कर्मचारियों के लिए जनहित में समुचित रियायत प्रदान करने से संबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है **कि बोर्ड के दिनांक 07.05.2014 के अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए पूर्व मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में उनकी पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास को बनाए रखने की अनुमति 31.12.2015 तक के लिए कर दी जाए।**

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

(एस. के. पांडा)
उप निदेशक, स्थापना (सामान्य)

सं. ई(जी)2009 क्यूआर-1-2 नई दिल्ली, दिनांक 01.12.2014

प्रतिलिपि को अग्रेषित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां ।
2. संयुक्त निदेशक (वित्त), अअमासं, लखनऊ ।
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

ALLOTMENT OF QURATERS